



2026:AHC:3293

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 41565 सन् 2025

मोबीन

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: महेन्द्र सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री राजेश कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक की ओर से वाद अपराध संख्या 484 वर्ष 2012, धारा 2/3, उ.प्र. गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना सहसवान, जिला बदायूँ, में जमानत पर उन्मोचित किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है और उसे इस वाद अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आवेदक दिनांक 11.08.2025 से जेल में निरुद्ध है। उक्त मामले में आवेदक को दिनांक 06.12.2012 के आदेश द्वारा न्यायालय ने जमानत प्रदान की थी। तत्पश्चात् वह कई तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। विचारण न्यायालय ने आवेदक के विरुद्ध अजमानतीय वारण्ट जारी किया। तत्पश्चात् दिनांक 11.08.2025 को आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आवेदक के तीन अन्य मामलों में कोई आपराधिक इतिवृत्त नहीं है, जिसे जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में स्पष्ट किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जमानत पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिहा होने की स्थिति में न्याय से भागने अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ किए जाने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया, किन्तु उपरोक्त तथ्यों का खण्डन नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि अभियुक्त-आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् एक भी तिथि को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, अतः उसे इस न्यायालय द्वारा कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए।

समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दण्ड की गंभीरता, समर्थनकारी साक्ष्य की प्रकृति, साक्षियों से छेड़छाड़ की उचित आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करने के उपरान्त, किन्तु मामले की गुणावगुणता पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का प्रकरण बनता है। तदनुसार जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक **मोबीन** को व्यक्तिगत मुचलके तथा उसी राशि की दो विश्वसनीय जमानतों पर सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

1. आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

07 जनवरी, 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।